प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक

साप्ताहिक समाचार

ई–पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 46 अंक–35 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 06–13 सितम्बर 2021 मूल्य पांच रूपए

क्या हिमाचल में भी गुजरात घटेगा–विधानसभा चुनाव फरवरी–मार्च में करवाने की अटकलें बढ़ी

- नगर निगमों के बाद अब विश्व विद्यालय में हारी भाजपा
- नेताओं के पत्रों पर हुए कर्मचारियों के तबादले उच्च न्यायालय ने किये रद्द
- किसानों की आय दोगुणी करने का वायदा करने वाली सरकार सब्सिडी का भुगतान ही नहीं कर पायी

शिमला/शैल। प्रदेश में होने वाले चारों उपचुनाव टाल दिये गये हैं। चुनाव आयोग ने यह फैसला राज्य के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, डीजीपी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से चर्चा करने के बाद लिया है ऐसा इस संद्धर्भ में आये प्रैस नोट में कहा गया है। अब यह उपचुनाव कब होंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। प्रदेश विधानसभा के लिये चुनाव अगले वर्ष दिसम्बर में कार्यकाल पूर्ण होने के बाद होंगे। इस नाते अभी भी इन चुनावों के लिये सोलह माह का समय बचा है। जबकि उपचुनावों के लिये जो स्थान खाली हुए हैं उनमें फतेहपुर के लिये फरवरी में, मण्डी लोकसभा के लिये मार्च, जुब्बल कोटखाई के लिये जून और अर्की के लिये जुलाई 2022 में क्रमशः एक वर्ष पूरा हो जायेगा। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 151 A के अनुसार उपचुनाव स्थान खाली होने के छः माह के भीतर करवा लिया जाना अनिवार्य है। यदि शेष कार्यकाल का समय ही एक वर्ष से कम बचा हो तो भारत सरकार के साथ विचार–विमर्श करके चुनाव आयोग ऐसे उपचुनाव को टाल सकता है। लेकिन विधानसभा के तीनों रिक्त स्थानों के लिये डेढ वर्ष से अधिक का समय शेष है और मण्डी लोकसभा के लिये तो तीन वर्ष से अधिक का समय रहता है। इसलिये यह स्पष्ट है कि यह सारे उपचुनाव तो करवाने ही पड़ेंगे क्योंकि एक वर्ष से अधिक समय के लिये टालने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा करना एक संवैधानिक संकट को न्यौता देना हो जायेगा। इस समय देशभर में तीन लोकसभा और बत्तीस विधानसभा सीटों के लिये उपचुनाव टाले गये हैं जो आगे करवाना अनिवार्य हो जायेंगे।

[151A. Time limit for filling vacancies referred to in sections 147, 149, 150 and 151.— Notwithstanding anything contained in section 147, section 149, section 150 and section 151, a bye-election for filling any vacancy referred to in any of the said sections shall be held within a period of six months from the date of the occurrence of the vacancy:

Provided that nothing contained in this section shall apply if—

(a) the remainder of the term of a member in relation to a vacancy is less than one year; or

(b) the Election Commission in consultation with the Central Government certifies that it is difficult to hold the bye-election within the said period.

अगले वर्ष 2022 में आठ विधानसभाओं और राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति के लिये चुनाव होने हैं। चुनावों का यह सिलसिला फरवरी–मार्च 2022 से ही शुरू हो जायेगा और दिसम्बर तक चलता रहेगा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिये फरवरी में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के परिणाम पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। बंगाल चुनावों के बाद भाजपा के चुनावी मनोबल में कमी आई है। अभी पिछले दिनों प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर इण्डिया टूडे का एक सर्वे आया है उसमें प्रधानमन्त्री का ग्राफ 66 से लुढक कर 24% तक आ गया है। सी वोटर के सर्वे में कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनती बताई गयी है। किसान आन्दोलन पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। सरकार इसके प्रभाव से प्रभावित हो रही है इसका ताजा उदाहरण करनाल में सामने आ गया है जहां पांच दिन बाद सरकार को सारी मांगे माननी पड़ गयी है। इसी तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य का परिणाम है कि भाजपा ने छः माह के समय में ही अपने मुख्यमन्त्री बदल दिये। उत्तराखण्ड में दो मुख्यमन्त्री बदल दिये। मुख्यमन्त्रीयों के इस बदलाव को यह रणनीति माना जा रहा है कि चुनावों से पहले मुख्यमन्त्री को बदल दो ताकि सारी प्रशासनिक नकारात्मकता मुख्यमन्त्री के साथ ही चर्चा से बाहर हो जाये।

इसी गणित में यदि हिमाचल का आकलन किया जाये तो पिछले दिनों प्रदेश की चार नगर निगमों के लिये हुए चुनावों में भाजपा दोनों में हार गयी थी। 2014 के बाद यह पहली हार है। अब विश्वविद्यालय में मिली हार से यह सामने आ गया है कि कर्मचारियों और अधिकारियों में भाजपा अपना विश्वास खो चुकी है। विश्वविद्यालय में जिस तरह पिछले दिनों हुई नियुक्तियों को लेकर सवाल उठे हैं उसका परिणाम इन चुनावों में सामने आ गया है। अब तो कर्मचारियों के तबादलों में जिस तरह से भाजपा विधायक को और दूसरे नेताओं का बढ़ता दखल उच्च न्यायालय तक जा पहुंचा है उस पर उच्च न्यायालय ने जिस तरह से अपनी नाराज़गी जताई है उससे सरकार को जो झटका लगा है उससे उबरने का कोई अवसर अब सरकार के पास नहीं बचा है। सेब के प्रकरण में जब से यह सामने आया है कि निजक्षेत्र के कोल्ड स्टोर मालिकों पर उत्पादकों के लिये इन स्टोरों में 20% जगह उपलब्ध रखने की शर्त तो लगा दी लेकिन उस शर्त को बागवानों के हितों में न तो कभी प्रचारित किया गया न ही उस पर अमल करवाया गया। 2022 में किसानों की आय दोगुणी करने के दावों के बीच बागवानों को यह सरकार सब्सिडी तक नहीं दे पायी है। बागवानी और कृषि मन्त्री दोनों इस पर चुप हैं इस तरह चुनावी गणित से देखते हुए सरकार के पक्ष में धरातल पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता जिसका लाभ चुनावों में मिल सके। वैसे भी अब चौथे वर्ष में जाकर चुनाव क्षेत्रों में घोषणाएं की जा रही हैं जिनका चुनावों तक अमली शक्ल ले पाना संभव ही नहीं है। ऐसे में उपचुनावों में सफलता मिलना आसान नहीं है और इनमें असफलता का असर आम चुनावों पर पड़ना तय है। इस पद्दिृश्य में यह माना जा रहा है कि अगले वर्ष होने वाले सारे विधान सभा चुनावों को यूपी के साथ ही फरवरी–मार्च में ही करवा लिया जाये। इस गणित में यह संभावना भी बल पकड़ रही है कि भाजपा कुछ अन्य प्रदेशों में भी गुजरात जैसे फैसले ले सकती है।

क्या धर्मशाला स्मार्ट सिटी में ब्लैकलिस्टिड कंपनी को काम दिया जा रहा है

शिमला/शैल। धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी योजना में लाने के लिये ही धर्मशाला को नगर निगम बनाया गया है। इन दिनों धर्मशाला में एलईडी लाईटें लगाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिये टैण्डर आमन्त्रित किय गये जिनमें चार कंपनीयों ने भाग लिया है। इस प्रक्रिया में सूत्रों के मुताबिक मै. एच पी एल इलैक्ट्रिक एण्ड पावर प्रा. लि. को चयनित किया गया है। चर्चा है कि इस कंपनी को दिल्ली में सरकारी कार्यों के लिये ब्लैकलिस्ट किया गया है। ऐसे में यह सवाल उठने शुरू हो गये हैं कि ऐसी क्या मजबूरी आ गयी है कि एक ब्लैक लिस्टिड कंपनी को काम देने के लिये कहा जा रहा है।

BLACKLISTED PARTIES

Home / Tenders / Blacklisted Parties

M/S. HPL ELECTRIC & POWER PVT. LTD.

Sr.No	Name pf party	Address	Reference of Contract	Reason for blacklisting
1.	M/s. HPL Electric & Power Pvt. Ltd.	2nd floor, 2H, Rushabh Chambers, Off Makwana Road, Marol, Andheri (E), Mumbai – 400059	Tender No. DC/MB-20676 dt. 22.07.2015 for Procurement of MCCs	Submission of forged documents (Blacklisted up to 18.10.2021) Special Leave Petititon (SLP)

राष्ट्रीय लोक अदालत में 11311 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए पूरे प्रदेश में 11 सितम्बर, 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी न्यायालयों में हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति रवि मलीमथ, के मार्गदर्शन में इस लोक अदालत का आयोजन किया गया।

न्यायमूर्ति रवि मलीमथ, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश, प्रदेश उच्च न्यायालय ने 25 अगस्त, 2021 को जिला न्यायाधीशों, कोर्ट के अधिकारियों व सचिवों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान सभी न्यायिक अधिकारियों को बार सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा लोक अदालत के लिए पर्याप्त संख्या में मामलों की पहचान करने और मामलों के निपटारे को बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा मामलों को सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए सभी पक्षों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक रवैया अपनाने पर जोर दिया।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायिक अधिकारियों और सचिवों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित करके मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के तहत एक विषेश रणनीति विकसित की गई थी। लोक अदालत की पूर्व बैठकों को अधिकतम करने, स्थानीय बार संघों, न्यायिक अधिकारियों और हितधारकों के साथ बैठकें करने पर जोर दिया गया और ऐसी 400 से अधिक बैठकें हुई। पीएलवी की सक्रिय भागीदारी से एनएलए में अपने मामलों को निपटाने के लिए वादी जनता को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए 251 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।

इस लोक अदालत का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी व्यापक प्रचार किया गया और इस सहयोग से हमें वादी जनता से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और हम 32725 मामलों की पहचान करने की स्थिति में आए जो कि वर्ष 2015 के बाद से अब तक का सबसे अधिकतम आंकड़ा है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 30878 मामलों को आपसी सुलह-समझौते के लिए लिया गया जिनमें 16603 पूर्व मुकद्मेंबाजी व 14275 लंबित मामले थे। इन्हें निपटान के लिए 123 बैंचों में रखा गया। जिनमें से 11311 मामलों का निपटारा आपसी सुलह व समझौते किया जा सका। मु0 33,95,70,122/-रूपये (तैंतीस करोड़ पंचानबे लाख सत्तर हजार एक सौ बाईस केवल) का मुआवजा भी पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से दिलाया गया।

इस लोक अदालत के मुख्य बिन्दु यह हैं

1. एनआई एक्ट के मामलों के निपटारे के लिए, जहां चेक की राशि 2 लाख तक थी, एक विशेष अभियान चलाया गया और 6747 एनआई एक्ट मामलों की पहचान की गयी जो अब तक के अधिकतम मामले है।

2. इस लोक अदालत मे 16603 पूर्व मुकद्मेंबाजी मामलों की पहचान की गई। यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है। इसका उद्देश्य नियमित सुनवाई के लिए न्यायालयों में आने वाले ऐसे मामलों के प्रवेश को रोकना और लोक अदालत के माध्यम से इन मामलों का अंतिम निपटान करना है।

3. अब तक 11311 मामलों का निपटारा किया गया जो कि वर्ष 2016 के बाद से सबसे अधिकतम आंकड़ा है।

न्यायमूर्ति रवि मलीमथ, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने व्यक्तिगत रूप से जिला न्यायालय परिसर, शिमला का दौरा किया और वहाँ चल रही लोक अदालत के कामकाज का निरीक्षण किया।

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस लोक अदालत में वर्ष 2015 के बाद से मामलों का सबसे अधिकतम निपटान करने मे सफल रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न विषयों जैसे कि वैवाहिक मामलों, मोटर वाहन/चालान मामलों, बैंक रिकवरी सूट आदि के लिए मासिक लोक अदालतों का आयोजन विशेष रूप से उन जिलों में करेगा, जहां लंबित मामलों की संख्या अधिक है, ताकि वादियों को त्वरित और समय पर न्याय प्रदान हो सके।

उक्त श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नें अगस्त, 2021 के महीने में एक विशेष लोक अदालत 'जनता के द्वार' का भी आयोजन किया था और लगभग 13,669 मामलों का निपटारा किया था और इस राष्ट्रीय लोक अदालत के बाद, इस महीने में मोटर वाहन/चालान मामलों के निपटान के लिए एक और विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने का निमंत्रण दिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द से भेंट की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को प्रदेश

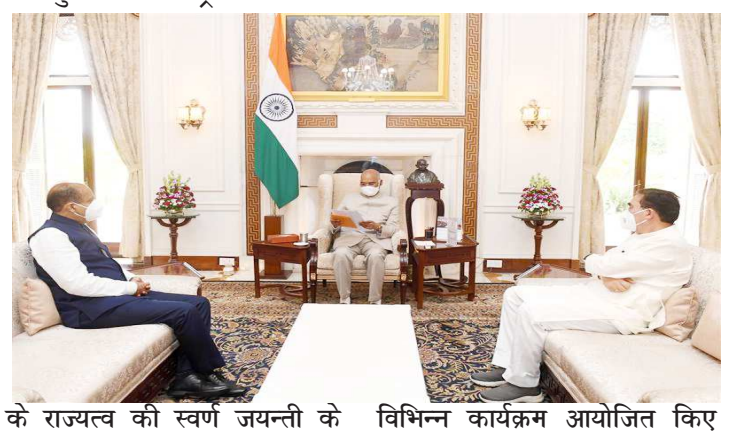

के राज्यत्व की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आने का औपचारिक निमंत्रण दिया।

उन्होंने राष्ट्रपति को जानकारी दी कि इस वर्ष 25 जनवरी को राज्य के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं और स्वर्ण जयंती के अवसर पर राज्य में वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार तथा मुख्य सचिव राम सुभग सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी गणेश चतुर्थी की बधाई

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचलवासियों को गणेश चतुर्थी पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।

अपने शुभ संदेश में राज्यपाल ने कहा कि गणेश चतुर्थी हिन्दुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी देवताओं में प्रथम आराध्य भगवान गणेश जी की सब पर अपार कृपा बनी रहे और समाज में सौहार्द व प्रेम का वातावरण कायम रहे।

मुख्यमंत्री ने अपने शुभ सन्देश में सभी को गणेश चतुर्थी की मंगलकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में सुख, शान्ति और आरोग्य लेकर आए। उन्होंने कहा कि विघ्न विघ्नेश्वर भगवान गणेश जी सभी के हर प्रकार के कष्टों का निवारण करेंगे।

अपनी नाकामियां छुपाने के लिए हिमाचल में भी मुख्यमंत्री बदल सकती है भाजपाः रत्नेश गुप्ता

शिमला/शैल। गुजरात के

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के इस्तीफे के बाद तेजी से बदले घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता ने एक ब्यान जारी करते हुए कहा है कि गुजरात में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद हिमाचल के सीएम की कुर्सी भी जाती दिख रही है। ऐसे में 'आप' की सलाह है कि भाजपा को सूबे में ऐसी किसी भी कवायद से बचना चाहिए क्योंकि 15 महीने बाद होने वाले चुनाव में जनता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा सरकार दोनों को ही बदल देगी। उत्तराखंड, कर्नाटक और अब गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन के बाद सूबे में भी बदलाव की अटकलें तेज़ हो गयी है।

उन्होने कहा कि ये सर्वविदित है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की कुर्सी जाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण गुजरात में 'आप' की तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता ही है। आज हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी तेज़ी से अपने पांव पसार रही है। गुजरात और हिमाचल के चुनाव 15 महीने बाद एक साथ होने है। उन्होने कहा कि भाजपा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिये मुख्यमंत्री बदल सकती है पर अब उससे कुछ हासिल नही होगा क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार की विफलताओं का जवाब देने का मन बना चुकी है।

मुख्यमंत्री ने मुस्कान को हिमाचल के भारत निर्वाचन आयोग का यूथ आइकन बनने पर बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की दृष्टिबाधित पीएचडी छात्रा एवं बेहतरीन गायिका मुस्कान को हिमाचल प्रदेश के लिए भारत निर्वाचन आयोग का यूथ आइकन बनने पर बधाई दी। वह युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।

उन्होंने कहा कि राज्य की बेटियां समाज में बेहतर प्रर्दशन कर रही हैं और समाज में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला शिमला के चिड़गांव के दूर-दराज गांव सिंदासली की रहने वाली मुस्कान ने साबित किया है कि मन में इच्छा हो तो किसी भी प्रकार की बाधा लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि मुस्कान की इस उपलब्धि ने हमें गौरवान्वित किया है।

सीपीआईएम का लंगर विवाद को लेकर आईजीएमसी में धरना प्रदर्शन

शिमला/शैल। पिछले कुछ दिनों से आईजीएमसी में मुफ्त लंगर को लेकर विवाद चल रहा है। जिसको लेकर सीपीआईएम लोकल कमेटी शिमला द्वारा आईजीएमसी में प्रदर्शन किया गया । इस प्रदर्शन में सीपीआईएम के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

पार्टी का मानना है कि आईजीएमसी प्रशासन ने जिस तरीके से वहां पर चल रहे लंगर को अवैध घोषित किया है वह गलत है। जो लोग लंगर को अवैध बता रहे हैं वही लोग वहां पर लंगर बांटते देखे गए हैं। इसलिए इसमें सबसे पहले आईजीएमसी प्रशासन की जांच होनी चाहिए जिसने इस लंगर को चलाने की अनुमति दी थी। पार्टी का मानना है कि प्रशासन वहां पर लंगर को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति दे ताकि वहां पर जरूरतमंद तीमारदारों को राहत मिल सके। यदि कोई भी सामाजिक संस्था आईजीएमसी में लंगर लगाना चाहती है तो उन सभी को इजाजत दी जाए।

सीपीआईएम ने सरकार से मांग की है कि आईजीएमसी में मरीजों के सभी प्रकार के टैस्ट मुफ्त किए जाए। कैंटीनों का संचालन आईजीएमसी प्रशासन करे। जिस तरीके से चंद व्यक्तियों के फायदे के लिए सब कुछ निजी हाथों में दिया जा रहा है सीपीआईएम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रीना
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

पुलिस विभाग द्वारा साईबर अपराध से निपटने के लिये 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा साईबर अपराध से निपटने के लिए निरन्तर प्रयासरत है जो हाल ही में विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना (Indian Cyber Crime Coordination Center Scheme) के तहत आधुनिक तकनीक के उपकरण की खरीद कर रही है जो साईबर अपराध के मामलों को तुरन्त प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों से अन्वेषण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन पुलिस मुख्यालय शिमला में स्थित राज्य साईबर अपराध थाना में किया गया, यह 2 दिवसीय प्रशिक्षण 7 और 8 सितम्बर को दिया गया जिसमें कुल 50 अन्वेषण अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक साईबर अपराध रोहित मालपानी (भा.पु.से.) अति पुलिस अधीक्षक साईबर अपराध नरवीर सिंह राठौर एवं भिन्न-2 सोफ्टवेयर कम्पनियों से आये साईबर एक्सपर्ट एवं सोफ्टवेयर प्रशिक्षक ने साईबर अपराध से सम्बंधित डेटा को विश्लेषण किया एवं टूल्स पर प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया। उपरोक्त भिन्न-2 सोफ्टवेयर एवं टूल्स के पुलिस विभाग के पास आने से भविष्य में अन्वेषण अधिकारियों को साईबर अपराध से निपटने में काफी मदद मिलेगी। किसी भी साईबर अपराध के घटित होने पर आप तुरन्त अपने नजदीकी पुलिस थाना या राज्य साईबर अपराध थाना शिमला में अपनी शिकायत आन-लाईन ई-मेल cybercrcell-hp@nic.in या Whatsapp No. 9805953670 पर करें।

अधिकारियों को एम्स का निर्माण कार्य तय समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एम्स के निर्माण से सम्बन्धित सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को संस्थान के लिए विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने तथा निर्धारित समय अवधि में स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए एम्स में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने एम्स के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश के लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए एम्स के अधिकारियों को जिला प्रशासन के समन्वय से कार्य करना चाहिए।

इस अवसर पर एम्स के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि एम्स के प्रथम चरण का निर्माण कार्य 30 जून, 2022 तक पूर्ण हो जाएगा और एमबीबीएस का दूसरा बैच इस वर्ष के अन्त अथवा आगामी वर्ष के जनवरी माह तक आरम्भ कर दिया जाएगा।

एम्स के अधिकारियों ने बताया कि यहां ओपीडी सेवाएं अगले माह तक आरम्भ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संस्थान में मई, 2021 से टेलीमेडिसन सेवाएं आरम्भ कर दी गई हैं तथा एम्स द्वारा जून, 2021 से क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में भी ओपीडी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जिसके माध्यम से अब तक लगभग 8 हजार लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान के एमबीबीएस के छात्रों के साथ भी संवाद किया। एम्स के निदेशक वीर सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें संस्थान की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया। उन्होंने प्रदेश सरकार से संस्थान के आस-पास विद्यालय खोलने के लिए भूमि प्रदान करने का भी आग्रह किया।

इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए मॉडल राज्य बनाया जाएगा हिमाचल: बिक्रम सिंह

शिमला/शैल। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए देश भर में मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सत्त विकास की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी और राज्य में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रिक वाहन नीति के कार्यान्वयन होने से लोग पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन लेने के समय इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रेरित होंगे।

परिवहन मंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में वाहनों के चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग प्वाईंट अधिक से अधिक संख्या में विकसित किए जाएंगे। यह सुविधा पैट्रोल पम्पों और अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है।

बैठक में नादौन में ट्रांसपोर्ट नगर तथा ड्राईविंग प्रशिक्षण और जांच केन्द्र स्थापित करने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आगामी शनिवार तक विस्तृत रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयन्ती परिवहन योजना के तहत प्रदेश में 22 सितम्बर, 2021 से पहले राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति प्रदेश में विभिन्न एम्बुलेंस सड़कों को एम्बुलेंस परिचालन के लिए पास करने के लिए अपनी संस्तुति देगी। प्रदेश में लगभग 300 एम्बुलेंस सड़कों को पास करने की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।

बिक्रम सिंह ने कहा कि बद्दी में 16.35 करोड़ रूपये की लागत से 32 बीघा भूमि पर निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण केन्द्र (ऑटोमैटिक व्हीकल टैस्टिंग केन्द्र) भी विकसित किया जाएगा। इस केन्द्र के निर्माण के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा तथा वस्तुस्थिति का जायजा लेने के लिए वह स्वंय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चिन्हित स्थल का दौरा करेंगे।

मुख्यमंत्री का केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्वीकृत करने का आग्रह

शिमला/शैल। केन्द्रीय मंत्री ने टीकाकरण की दूसरी डोज का लक्ष्य हासिल करने के लिए वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख एल मंडाविया से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एशिया में फार्मा हब है और बल्क ड्रग फार्मा पार्क की स्वीकृति से प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रदेश में शत-प्रतिशत पात्र आबादी को कोविड-19 की पहली डोज प्रदान करने के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य में वैक्सीनेशन का 103 फीसदी प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें प्रवासी श्रमिक और पर्यटकों का टीकाकरण भी शामिल है। उन्होंने राज्य को पर्याप्त मात्र में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि राज्य की शत-प्रतिशत पात्र आबादी को कोविड-19 की दूसरी डोज 30 नवम्बर, 2021 तक पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है।

केन्द्रीय मंत्री ने प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए वैक्सीन की कमी नहीं होगी। उन्होंने प्रदेश को हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।

जनमंच में आयी 1609 शिकायतें व मांगें

शिमला/शैल। प्रदेश के 11 ज़िलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनमंच आयोजित किए गए। इन जनमंच में 1609 शिकायतें व मांगें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। प्रशासन द्वारा जनमंच के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया गया।

एक लाख करोड़ की निधि ग्रामीण स्तर पर सुदृढ़ करेगी कृषि-बागवानी अधोसंरचना

शिमला/शैल। शहरी विकास एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष कृषि अधोसंरचना निधि के गठन के लिए आभार व्यक्त किया है।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सहकारिता विभाग भी एक प्रकोष्ठ का गठन कर रहा है जो पंजीकृत किसान संस्थाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों व कृषि, बागवानी से सम्बंधित संस्थाओं की मदद करेगा।

मंत्री ने कहा कि एक लाख करोड़ का यह फंड ग्रामीण स्तर पर अधोसंरचना को मजबूत करने में सहायक होगा। क्लस्टर स्तर पर कोल्ड स्टोर या अन्य पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन की सुविधाएं उपलब्ध कराने में यह निधि सहायक सिद्ध होगी।

प्रदेश सरकार भी अधोसंरचना निर्माण में जोर दे रही है। लेकिन प्रधानमंत्री का माइक्रो स्तर पर मदद पहुंचाने की पहल बहुत अहम है।

मंत्री ने कहा कि कई संस्थाएं अपने अपने स्तर पर कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में काम कर रही है। सहकारिता विभाग इन संस्थाओं के अधोसंरचना निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। संस्थाएं अपनी मांग प्रकोष्ठ के पास रखेंगी जिसे पूरा करने में सहायता की जाएगी।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने समस्याओं को समझते हुए इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया है। प्रदेशवासियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इस पहल से प्रदेश के सेब बागवान और अन्य किसान लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा कि कई संस्थाओं के पास योजनाओं की सही जानकारी नहीं होती। ऐसे में सहकारिता विभाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

शिमला के लिए बल्क जलापूर्ति योजना को मिली वन स्वीकृति: सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के लिए बल्क जलापूर्ति योजना को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा काफी कम समय में वन स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस कार्य में योगदान के लिए प्रदेश के वन विभाग और शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) के सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिमला शहर को 24 घंटे जलापूर्ति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। शिमला के पांच वार्डों में इस वर्ष के अन्त तक 24 घंटे जलापूर्ति शुरू हो जाएगी।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहरी विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ नेगोशिएशन पैकेज के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जल आपूर्ति योजना सेवाओं में सुधार के लिए शिमला जलापूर्ति एवं सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के माध्यम से 250 मिलियन डॉलर (1813 करोड़ रुपये) का वित्त पोषण किया जा सके। कुल 250 मिलियन डॉलर में से विश्व बैंक 160 मिलियन डॉलर (1160.32 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और शेष राशि 90 मिलियन डॉलर (652.68 करोड़ रुपये) का वहन हिमाचल सरकार द्वारा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस योजना में शिमला जिले की सुन्नी तहसील के शकरोड़ी गांव के पास सतलुज नदी से पानी उठाने की योजना बनाई गई है जिसमें संजौली में 1.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाने और 22 कि.मी. की पाइप बिछाने से 67 एमएलडी पानी की वृद्धि शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत नगर निगम शिमला में वितरण पाइप नेटवर्क को सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति प्रणाली में स्तरोनन्त करने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, शिमला के मैहली, पंथाघाटी, टुटू और मशोबरा क्षेत्रों में मलनिकासी प्रणाली प्रदान की जाएगी। यह राज्य के लिए एक प्रमुख परियोजना होगी जो शिमला में बेहतर जलापूर्ति और मलनिकासी प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करेगी और वर्ष 2050 तक शहर की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

हिमऊर्जा बी.पी.एल.परिवारों को सौर घरेलू रोशनियां निशुल्क उपलब्ध करवा रहा

शिमला/शैल। हिमऊर्जा द्वारा चंबा जिला के पांगी उपमण्डल के किलाड़ में 250 वाट के ऑफ ग्रिड़ पावर प्लांट क्षेत्र के शेष बचे 1162 बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क बांटे जा रहे हैं, जिसकी शुरूआत पांगी में बी.पी.एल. परिवारों को 250 वाट ऑफ ग्रिड पावर प्लांट वितरित करके की गयी थी।

पन्ना लाल शर्मा, डीपीआरओ, हिमऊर्जा ने बताया कि इससे पहले 1000 बी.पी.एल. परिवारों को 250 वॉट के ऑफ ग्रिड पावर प्लांट उनके घरों में पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। हिमऊर्जा द्वारा अक्षय ऊर्जा दिवस के अवसर पर प्रिंट मीडिया व वेबपोर्टल के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किए गए।

उन्होंने बताया कि हिमऊर्जा भारत के 75 साल 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' आकाशवाणी शिमला के साथ क्विज़ कॉम्पीटिशन में भी सहयोग कर रहा है। हिमऊर्जा द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों के लिए सौर गली रोशनियाँ तथा सौर घरेलू रोशनियाँ निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।

मुर्ख व्यक्ति उपकार करने वाले का भी अपकार करता है। इसके विपरीत जो इसके विरुद्ध आचरण करता है, वह विद्वान कहलाता है।

.....चाणक्य

सम्पादकीय

आर्थिक फैसलों पर फतवा होंगे यह विधानसभा चुनाव

अगले वर्ष आठ राज्यों की विधान सभाओं और देश के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिये चुनाव होने हैं। इन चुनावों का देश के राजनीतिक भविष्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा यह तय है। क्योंकि 2014 में जब केन्द्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था और इस परिवर्तन के लिये उस दौरान हुए स्वामी रामदेव तथा अन्ना हजारे के आन्दोलनों ने जो भूमिका अदा की थी उसमें देश के सामने अच्छे दिनों का जो सपना परोसा गया था वह कितना सही साबित हुआ है उसका आकलन करने का अब समय आ गया है। उस समय की कांग्रेसनीत सरकार को भ्रष्टाचार का पर्याय करार दिया गया था और इसके लिये कई भारी भरकम आंकड़े देश के सामने परोसे गये थे। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कारवाई सात वर्षो में हुई यह जानने का वक्त अब आ गया है। उस समय जनता से पांच वर्ष का समय मांगा गया था। 2019 में जनता ने फिर समर्थन दिया भले ही समर्थन में ई वी एम की भूमिका पर भी कई सवाल उठे हैं जो अभी तक कुछ उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में जवाब के लिये लंबित हैं।

इस परिदृश्य में 2014 से लेकर आज 2021 तक मोदी सरकार द्वारा लिये कुछ अहम फैसलों पर नजर दौड़ाना आवश्यक हो जाता है। सामाजिक और राजनीतिक संद्धर्भ में मुस्लिम समुदाय के माथे से तीन तलाक का कलंक मिटाना एक बड़ा फैसला रहा है और इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिये। राजनीतिक परिप्रेक्ष में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना जहां आवश्यक फैसला था वहीं पर इस प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा छीन इसे केन्द्र शासित राज्यों में बांटने से अच्छे फैसले पर स्वयं ही प्रश्नचिन्ह आमन्त्रित करना हो गया है। आयोध्या विवाद पर आये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर इसी अदालत के कुछ पूर्व जजों की आई प्रतिक्रियाओं ने ही इसे प्रश्नित कर दिया है। दूसरी ओर इसी दौरान जो आर्थिक फैसले लिये गये हैं उनमें सबसे पहले नोटबन्दी का फैसला आता है। इस फैसले से कितना कालाधन बाहर आया और आतंकवाद कितना रूका इसके कोई आंकडे आज तक सामने नहीं आये हैं। यही सामने आया है कि 99.6% पुराने नोट नये नोटों से बदले गये हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नोटबन्दी के लिये कालेधन और आंतकवाद के तर्क आधारहीन थे। नोटबन्दी से जो कारोबार प्रभावित हुआ है वह आर्थिक पैकेज मिलने के बाद भी पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पाया है। जीरो बैलेन्स के नाम पर जनधन में खोले गये बैंक खातों पर जब न्यनूतम बैलेन्स रखने की शर्त लगा दी गयी तब यह खाते खोलने का घोषित लाभ भी शून्य हो गया है।

इसके बाद जब कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाऊन लगाया गया तब इसी काल में श्रम कानूनों में संशोधन करके श्रमिकों से हड़ताल का अधिकार छीन लिया गया। श्रम कानूनों में संशोधन के बाद इसी काल में विवादित कृषि कानून लाकर जमा खोरी और कीमतों पर नियन्त्रण हटाकर सबकुछ खुले बाजार के हवाले कर दिया गया है। इसी का परिणाम है कि डीजल-पैट्रोल से लेकर खाद्यानों तक की कीमतें बढ़ गयी हैं। इन कानूनों से कृषिक्षेत्र बुरी तरह प्रभावित होगा। इसी चिन्ता को लेकर देश का किसान आन्दोलन पर है और इन कानूनों को वापिस लेने की मांग कर रहा है। कोरोना के कारण लगाये गये लॉडाऊान से बीस करोड़ से अधिक श्रमिकों का रोज़गार खत्म हो गया है। जीडीपी शून्य से भी बहुत नीचे चला गया है। इस कोरोना काल में प्रभावित लोगों को मुफ्त राशन देकर जिन्दा रहने का सहारा देना पड़ा है। एक ओर करोड़ों लोगों का रोज़गार छिन गया और सारे महत्वपूर्ण संसाधनों को मुद्रीकरण के नाम पर प्राईवेट सैक्टर के हवाले किया जा रहा है। राज्यों को भी मुद्रीकरण के निर्देश जारी कर दिये गये हैं जब यह सारे संसाधन पूरी तरह प्राईवेट सैक्टर के हवाले हो जायेंगे तब रोज़गार और मंहगाई की हालत क्या होगी इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।

जहां सर्वोच्च न्यायालय भीख मांगने को भी जायज़ ठहराने को बाध्य हो जाये वहीं पर सैन्ट्रल बिस्टा और बुलेट ट्रेन जैसी योजनाएं कितने लोगों की आवश्यकताएं हो सकती है यह हर व्यक्ति को अपने विवेक से सोचना होगा। सरकार के इन आर्थिक फैसलों का देश के भविष्य पर कितना और कैसा असर होगा यह भी हरेक को अपने विवेक से सोचना होगा। क्या इन आर्थिक फैसलों को तीन तलाक, राम मन्दिर और धारा 370 हटाने के नाम पर नज़रअन्दाज किया जा सकता है? यह चुनाव इन्ही सवालों का फैसला करेंगे यह तय है।

बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा शिक्षा में तकनीक का उपयोग

शिमला। कोरोना महामारी में विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध जारी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई अभिनव कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इण्डिया अभियान का बखूबी उपयोग कर रही है। केन्द्र सरकार के डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से लोगों को एक डिजिटल सोल्यूशन प्रदान करना है।

कोरोना महामारी के संकट के इस दौर में इस डिजिटल माध्यम से शिक्षा विभाग विद्यार्थियों तक शिक्षा की अविरल धारा को पहुंचा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर पाठशाला, ईपीटीएम और डिजिटल साथी अभियान बच्चों को शिक्षित बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। हर घर पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों तक जुड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में 80 प्रतिशत विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। प्रदेश के 6.4 लाख विद्यार्थी व्हाट्सएप्प और 55 प्रतिशत विद्यार्थी साप्ताहिक क्विज़ जैसी शैक्षणिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।

प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हर घर पाठशाला के दूसरे चरण की शुरूआत की गई। इसके माध्यम से कार्यक्रम को और अधिक विद्यार्थी हितैषी बनाया गया। अब इस कार्यक्रम में गुगल मीट के माध्यम से शिक्षकों द्वारा लाइव क्लासिज लगाई जा रही है। लाइव क्लासिज में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को अध्यापकों द्वारा कॉल की जाती है।

शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के मध्य संवाद स्थापित करने के लिए प्रदेशभर में दो बार ऑनलाइन माध्यम से ई-पीटीएम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से 92 प्रतिशत अभिभावकों के साथ अध्यापकों ने संवाद स्थापित किया।

प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को मोबाइल प्रदान करने का देश का पहला अभिनव अभियान 'डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा' सर्व शिक्षा अभियान के तहत शुरू किया गया। इस अभियान के माध्यम से दानकर्ताओं द्वारा प्राप्त मोबाइल फोन जरूरतमंद बच्चों को वितरित किए जाएंगे। डिजिटल साथी कार्यक्रम के सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल साथी पोर्टल का भी शुरूआत की गई। इस पोर्टल द्वारा दानकर्ता मोबाइल फोन की ट्रैकिंग भी कर सकता है। इस पोर्टल के माध्यम से दानकर्ता ई- सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकता है। प्रदेश सरकार की मुहिम को फिल्म जगत की अभिनेत्री यामी गौतम का भी साथ मिला।

इस अभियान के लिए शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने भी मोबाइल फोन प्रदान किए हैं। प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए समाज का हर वर्ग इस अभियान से बढ़चढ़ कर जुड़ रहा है। अब तक इस अभियान के तहत दानकर्ताओं और कॉरपोरेट जगत से 1371 मोबाइल फोन प्राप्त हो गए हैं। इस अभियान के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे लाभान्वित होंगे, जो धन के अभाव में मोबाइल फोन नहीं खरीद पा रहे थे।

कोरोना महामारी ने समाज के हर वर्ग पर शारीरिक और मानसिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डाला है। विद्यार्थियों और शिक्षक वर्ग को इन नकारात्मक प्रभावों से राहत प्रदान करने के लिए हिम तत्पर शिक्षा के साथ योग कार्यक्रम भी चलाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों को हर घर पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से योग और ध्यान सिखाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के लगभग 8 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया।

कोरोना महामारी में विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध जारी रखने के लिए प्रदेश सरकार के तकनीक के माध्यम से शुरू किए गए अभिनव कार्यक्रमों को देश भर में सराहा जा रहा है और शिक्षा में तकनीक का उपयोग बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है।

क्या स्वतंत्र मीडिया की जिम्मेदारी निभाई जा रही है?

-आर. एल. भारद्वाज-
सेवानिवृत उप-कुलसचिव हि.प्र. विश्वविद्यालय शिमला

शिमला। यह सच है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया का स्वतन्त्र, निष्पक्ष व ज़िम्मेदार होना लोकतंत्र के लिए लाभदायक है। परन्तु यह बात कुछ ही मीडिया channels पर चरितार्थ होती है। मीडिया आम आदमी के जीवन की कठिनाईयों को उजागर कर राजनेताओं और प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ताकि सरकार/राजनीतिक दल/प्रशासन उन पर ध्यान देकर आम आदमी के जीवन में सुधार की तरफ़ कदम आगे बढ़ा सके। मीडिया देश में महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पर्यावरण तथा अन्य जटिल समस्याओं से जूझ रही जनता की परेशानियों को लेकर सरकार व प्रशासन के ध्यान आकर्षित करके उन्हे सरकार व प्रशासन द्वारा हल करने के लिए विवश कर सकता है। आज का ज्यादातर मीडिया राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को बहस में बुलाकर धर्म, जाति, पहरावा, भाषा तथा अन्य बेकार के मुद्दों उलझा कर जन मानस की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थय तथा पर्यावरण के मूल मुद्दो जिससे आम आदमी का जीवन बहुत कठिनाई में पड़ता नजर आ रहा है, अगर इस पर सार्थक बहस होती तो असल कारणों पर सरकार व प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है ताकि सरकार व प्रशासन अपनी योजनाओं का युक्तिकरण ठीक ढंग से कर सके। यदि कोई मीडिया वर्ग सरकार के प्रवक्ता से ऐसे प्रश्न करने की हिम्मत करता है तो ऐसे मीडिया को प्रशासनिक दबाव के कारण बहुत परेशानीयां झेलनी पड़ती हैं। लोकतंत्र में जिस दल की सरकार होती है उसका अपनें चुनावी वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी है परन्तु आज का ज्यादातर मीडिया शासक दल के प्रवक्ताओं का हिमायती बनकर सारे प्रश्न विपक्ष के प्रवक्ताओं से पूछ कर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, क्या यही मीडिया की जिम्मेदारी है?

इसका ताजा उदाहरण है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश की कुछ मीडिया वर्ग के प्रति टिप्पणी की जजों की नियुक्ति को लेकर कालेजियम की रिपोर्ट सार्वजनिक करना जिसका परिणाम औपचारिक रूप से सामने भी नहीं आया था। जब सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की कुछ मीडिया वर्ग के बारे मे ऐसी टिप्पणी है तो समझा जा सकता है कि मीडिया अपने कर्तव्य के प्रति कितना स्वतंत्र व जिम्मेदार है?

भारत की आर्थिक रिकवरी के मुखर आलोचक गलत क्यों हैं?

शिमला। ठीक एक साल पहले, हमने जीडीपी में तेज गिरावट के बाद वी-आकार की तेज वृद्धि की भविष्यवाणी की थी। उस समय, अधिकांश लोगों ने इस भविष्यवाणी पर संदेह किया था। एक पूर्व वित्त मंत्री ने लिखा ''एक बंजर रेगिस्तान में, वित्त मंत्री और मुख्य आर्थिक सलाहकार ने बिना पानी के हरे-भरे उद्यान देखे हैं!'' उनके सूक्ष्म समझ की कमी निश्चित रूप से इस बयान से स्पष्ट थी, '30 जून, 2019 तक सकल घरेलू उत्पादन का लगभग एक चौथाई, पिछले 12 महीनों में नष्ट हो गया है।' एक टैंक में पानी के स्तर के विपरीत, जीडीपी एक ऐसा पैमाना नहीं है, जो स्टॉक के स्तर को दर्शाता है। इसके बजाये, एक निश्चित समयावधि में बहने वाले पानी की मात्रा की तरह, जीडीपी एक निश्चित समयावधि में आर्थिक गतिविधियों के प्रवाह को मापता है। यदि जीडीपी केवल स्टॉक का एक पैमाना होता, तो यह कहा जा सकता है कि स्टॉक में एक निश्चित प्रतिशत की कमी आयी। सुविधा के अनुसार व्याख्या (नैरटिव) पेश करने और दर्शकों की तालियाँ बटोरने की कला के रूप में राजनीति (अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म समझ हासिल करने के कठिन काम की तुलना में अधिक आकर्षक व सरल होती है।

आइए महत्वपूर्ण आंकड़ों पर गौर से नजर डालते है। पिछले साल की पहली तिमाही में 24.4 प्रतिशत की गिरावट के बाद, अर्थव्यवस्था ने बाद की तिमाहियों में -7.5 प्रतिशत, 0.4 प्रतिशत, 1.64 और 20.1 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है। यदि इन संख्याओं को अंकित किया जाये, तो ग्राफ 'वी' जैसा दिखता है और यह किसी अन्य अक्षर के जैसा नहीं है। संयोग से, के-आकार की रिकवरी पर की गयी यह टिप्पणी अर्थव्यवस्था के वृहद् कारकों पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय पैटर्न पर केंद्रित है। हाथ की पांच अंगुलियों की तरह, क्षेत्रीय पैटर्न कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वी-आकार की रिकवरी, अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों का प्रमाण है-एक ऐसी बात, जिसे मैंने पद संभालने के बाद लगातार सामने रखा है। जैसा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में स्पष्ट किया गया है, महामारी-पूर्व मंदी केवल वित्तीय क्षेत्र की समस्याओं के कारण पैदा हुई थी, जो सांठगांठ के आधार पर ऋण देना और 2014 से पहले बैंकिंग क्षेत्र के कुप्रबंधन से उत्पन्न हुई थी। दुनिया भर में हुए शोधों से पता चलता है कि वित्तीय क्षेत्र में इस तरह की गड़बड़ी के कारण पैदा हुई आर्थिक उथल-पुथल बहुत लंबे समय तक चलती है। इस तरह के सांठगांठ से दिए गए बैंक ऋण के पुनर्भुगतान की प्रक्रिया 5-6 साल के बाद ही शुरू होती है। अपना खर्च न निकाल पाने वाली बड़ी कंपनियों (जॉम्बी) को हमेशा ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकरों के प्रोत्साहन जैसी वित्तीय अनियमिताओं का अंततः अन्य क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसका नुकसान अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक झेलना पड़ता है। कुछ टिप्पणीकार महामारी-पूर्व हुई मंदी का कारण विमुद्रीकरण और जीएसटी कार्यान्वयन को मानते हैं। हालांकि, विमुद्रीकरण, जिसमें जीएसटी कार्यान्वयन भी शामिल था, के आर्थिक प्रभाव पर किये गए शोध से पता चलता है कि इन निर्णयों से जीडीपी वृद्धि पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। शोध के ये निष्कर्ष इस तरह की टिप्पणी पर सवाल खड़े करते हैं तथा अर्थव्यवस्था के मजबूत मूल सिद्धांतों पर जोर देते हैं।

महामारी के दौरान भी, तिमाही विकास पैटर्न ने केवल आर्थिक प्रतिबंधों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाया है और इस प्रकार मजबूत आर्थिक सिद्धांतों को ही फिर से रेखांकित किया है। देश स्तर पर घोषित लॉकडाउन के बाद, पिछले साल की पहली तिमाही में गिरावट दर्ज की गयी थी, जबकि चौथी तिमाही तक हुई रिकवरी प्रतिबंधों में मिले छूट को दर्शाती है। इस साल की पहली तिमाही में, विनाशकारी दूसरी लहर के दौरान मई और जून में अधिकांश राज्यों में मॉल, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। गूगल का खुदरा गतिविधि आधारित दैनिक संकेतक, अपने 31 मार्च के स्तर से

-डॉ. के वी सुब्रमण्यम-

पहली तिमाही से जुलाई के मध्य तक नीचे था। सबसे गंभीर स्थिति के दौरान खुदरा गतिविधि, 31 मार्च के स्तर से 70 प्रतिशत तक कम थी। खपत पर इस तरह के आपूर्ति प्रतिबंधों के प्रभाव के बावजूद, पिछले साल के अपने निम्न बिंदु से खपत में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। जुलाई के मध्य से, प्रतिबंधों में दी गयी ढील के कारण उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं।

अभूतपूर्व सुधारों के बाद, अर्थव्यवस्था में अब तेज विकास का दौर आना स्वभाविक है। कॉरपोरेट जगत, लागत में कटौती करके और अपने कर्ज को कम करके निवेश के लिए तैयार हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र में लाभ दर्ज किये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप खुदरा और एसएमई उधार के फंसे कर्ज के कारण पैदा हुई खराब स्थिति का सामना करने में बैंक सक्षम हो गए हैं। खराब ऋण के प्रत्येक रुपये का लगभग 88 प्रतिशत का प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया गया है। इसके अलावा, बैंकों में पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता हाल के दिनों में सबसे अधिक है, क्योंकि बैंकों ने बाजारों से पूंजी जुटाई है। सुरक्षा के ये क्रमिक उपाय बैंकिंग क्षेत्र को कॉर्पोरेट निवेश के लिए उधार देने में सक्षम बनाते हैं।

वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद दो अंकों की महंगाई दर के विपरीत, सरकार द्वारा आपूर्ति क्षेत्र के लिए किये गए उपायों के कारण महंगाई दर पिछले वर्ष की तुलना में औसतन 6.1 प्रतिशत रही है। लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू के कारण आपूर्ति क्षेत्र को विभिन्न व्यवधानों का सामना करना पड़ा है, इसके संकट के बावजूद इतनी कम महंगाई दर दर्ज की गयी है। ऐसी स्थिति जीएफसी के बाद भी नहीं थी। साथ ही, सावधानीपूर्वक लक्षित और विवेकपूर्ण राजकोषीय व्यय ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत का राजकोषीय घाटा अपने समकक्ष देशों के लगभग समान है। उच्च राजस्व व्यय के कारण, यह जीएफसी के बाद अपने समकक्ष देशों की तुलना में काफी अधिक हो गया था। जीएफसी के बाद भारी गिरावट के विपरीत, आपूर्ति पक्ष के उपायों ने चालू खाता को अच्छी स्थिति में बनाये रखा है। जीएफसी के बाद 10 अरब डॉलर का एफपीआई देश से बाहर गया, जबकि पिछले साल देश में 36 अरब डॉलर से अधिक का एफपीआई आया था। जीएफसी के बाद 8 अरब डॉलर की तुलना में एफडीआई प्रवाह लगभग 10 गुना बढ़कर करीब 80 अरब डॉलर हो गया है। जीएफसी के बाद मुद्रा में लगभग 60 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन अब यह स्थिर है।

अर्थव्यवस्था के इन बृहद मौलिक सिद्धांतों को स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जो 2014 में अपने निम्न स्तर पर था। न केवल भारतीय इतिहास में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या सबसे अधिक हो गयी है, बल्कि अगस्त में आईपीओ की संख्या भी पिछले 17 वर्षों में सबसे अधिक रही है। वंशवादी धन या आपसी संबंधों के कारण नहीं, बल्कि यूनिकॉर्न कंपनियां अपने विचार की गुणवत्ता पर विकसित हुई हैं। यह योग्यता, अर्थव्यवस्था के लिए एक सुखद संकेत है।

संक्षेप में, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद हुए आर्थिक उथल-पुथल के विपरीत, सूक्ष्म समझ और सोच में स्पष्टता ने भारत को सदी में एक बार के संकट के दौरान भी लाभदायक आर्थिक नीति का मूल्यांकन करने और उसे लागू करने में सक्षम बनाया है।

इंस्पायर योजना से वैज्ञानिक सोच बनाने में मिल रही सहायता

शिमला। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि अन्वेषण उन्मुखी अभिनव शिक्षा भारत की अर्थव्यवस्था को 50 खरब की बनाने के लक्ष्य में अपना योगदान देगी। डॉ जितेंद्र सिंह का कहना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्म निर्भर भारत के सपने को पूरा करेगा। डॉ जितेंद्र सिंह ने एक वर्चुअल समारोह के दौरान 8वें इंस्पायर-मानक पुरस्कार प्रदान किये।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग डॉ जितेंद्र सिंह ने एक वर्चुअल समारोह के दौरान 8वें इंस्पायर-मानक पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्कूली छात्रों में अन्वेषण की ललक को विकसित किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर अपने संबोधन में मंत्री ने कहा, कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार का भविष्य उज्ज्वल है और यह भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा तथा अन्वेषण उन्मुखी अभिनव शिक्षा भारत की अर्थव्यवस्था को 50 खरब की बनाने के लक्ष्य में अपना योगदान देगी।

कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए कम समय में ही डीएनए आधारित वैक्सीन विकसित करने के अलावा तीन टीकों को उपयोग के लिए जारी करने में भारत के निपुणता का हवाला देते हुए, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि 21 वीं सदी में किसी भी देश की आर्थिक शक्ति उसके वैज्ञानिक विकास और संबंधित तकनीकी अनुप्रयोगों से निर्धारित होती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत इन नवोन्मेषी युवाओं को तैयार करके और उनके संसाधनों को एक साथ जोड़कर जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करेगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि इंस्पायर (आईएनएसपीआईआरई) योजना से वैज्ञानिक सोच बनाने में सहायता मिल रही है क्योंकि अब हर वर्ष पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले इच्छुक छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस वर्ष विभिन्न राज्यों और

केंद्र शासित प्रदेशों के 3.92 लाख से अधिक छात्रों ने अपनी परियोजनाएं जमा की थी जिनमें से 581 को चुना गया और उनमे से 60 को पुरस्कृत किया गया। इस योजना के शुरू होने के बाद से मानक (एमएएनएके) पुरस्कारों के तहत अब तक 5 लाख से अधिक स्कूलों तक पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे यह सिद्ध होता है कि वैज्ञानिक सोच वाले युवा भारतीय मस्तिष्क तैयार करने के अवसरों में तेजी आ रही है।

डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को अपने संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में पुरस्कारों और पुरस्कार विजेताओं के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए पत्र लिखेगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा के शुरुआती चरणों से एक संपूर्ण वैज्ञानिक और नवीन अभिरुचि और सीखने की प्रक्रिया विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने देश में वैज्ञानिक मानसिकता के निर्माण के लिए अलग-अलग आयु वर्ग के तीन संवर्गों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया, अर्थात 25 वर्ष से कम आयु वर्ग, 25 से 35 वर्ष का आयु वर्ग और 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग।

इस वर्चुअल पुरस्कार समारोह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉ रेणु स्वरूप और राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-एनआईएफ) के अध्यक्ष डॉ. पी एस गोयल ने भी संबोधित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इंस्पायर कार्यक्रम की प्रमुख नमिता गुप्ता , एनआईएफ के निदेशक डॉ. विपिन कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

इंस्पायर (आईएनएसपीआईआरई) अर्थात अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (आईएनएसपीआईआरई)-मानक (एमएएनएके) पुरस्कार भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और इसे संयुक्त रूप से भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), और राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-एनआईएफ) भारत द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। वर्ष 2016 में, अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च -आईएनएसपीआईआरई) योजना को नया रूप दिया गया और फिर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई 'स्टार्ट-अप इंडिया' पहल के लिए बनाई गई कार्य योजना के साथ जोड़ा गया। मानक (एमएएनएके-मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज) के माध्यम से छात्रों को देश भर के सभी सरकारी अथवा निजी स्कूलों की ओर से प्रोत्साहित किया जाता है जिससे कि वे जन सामान्य की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने मौलिक और रचनात्मक तकनीकी विचारों/नवाचारों को भेजें और अपने दम पर समाधान के साथ आएं। चाहे यह घरेलू कार्यों या सामान ढोने वाले मजदूरों, समाज या इसी प्रकार के लोगों के लिए हो। इस प्रकार प्राप्त परियोजनाओं में से चुनी हुई परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता (एनएलईपीसी) में भी प्रदर्शित किया जाता है।

जनता के व्यापक हितों को साधतीं सामाजिक कल्याण की योजनाएं

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों, ख़ासकर कमज़ोर वर्गों के उत्थान पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार का प्रयास है कि हर वर्ग को व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास तथा उन्नति के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। गुज़रते चार वर्षों में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं।

कांगड़ा ज़िला में इस वित्तीय वर्ष में 11,978 नए पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाया गया है। ग़ौरतलब है कि ज़िला कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक पेंशन योजना के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 2021 से 13 अगस्त, 2021 तक ज़िला में 1,30,911 पात्र व्यक्तियों को लगभग 96 करोड़ रुपये वितरित किये गए। हिमाचल प्रदेश में आरम्भ स्वर्ण जंयती नारी संबल योजना के तहत 65 से 69 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया है जिसमें कांगड़ा ज़िला की कुल 7,509 पात्र महिलाओं को प्रतिमाह की दर से एक हज़ार रुपये प्रदान किये जा रहे हैं।

स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत ज़िला में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 379 परिवारों को मकान निर्माण के लिए डेढ़-डेढ़ लाख रुपये ज़ारी करने हेतू 5.69 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया है। अनुवर्ती कार्यक्रम के तहत कारीगरों और अन्य कामगारों को मशीनें एवं औज़ार प्रदान करने के लिए 27.93 लाख रुपये के बजट का निर्धारण किया गया है। अक्षम व्यक्तियों के लिए विवाह अनुदान हेतू छः लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है जबकि अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत 51 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

ज़िला में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत किसी बीपीएल परिवार के मुखिया या 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच किसी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर 20 हज़ार रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत कांगड़ा ज़िला में इस वित्त वर्ष में 86 लाभार्थियों को 17 लाख 20 हज़ार रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा नियम, 1995 के अन्तर्गत ज़िला कांगड़ा में वर्ष 2021-22 के लिए 20 लाख रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। इस वित्त वर्ष के दौरान अब तक 15 पीड़ितों को 6.88 लाख रूपये की राहत राशि प्रदान की गई है।

ज़िला कल्याण अधिकारी असीम सूद विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा देते हुए बताते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं वरदान साबित हुई हैं। इन योजनाओं की सहायता से ग़रीब एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। पिछले चार सालों में राज्य सरकार ने समाज के पिछड़े एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कई अहम् निर्णय लिए हैं। सरकार का हर निर्णय जन कल्याण की भावना से प्रेरित है, जो जनता के व्यापक हितों को साधता है।

साइबर अपराध की जांच और रोकथाम एक चुनौतीपूर्ण कार्य

शिमला। गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने नई दिल्ली में सीआईएसओ/सीआरओ/मध्यस्थों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अजय कुमार मिश्रा ने अपने उद्घाटन भाषण में साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एलईए के क्षमता निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र (एनसीआर एंडआईसी) और बीपीआरएंडडी के आधुनिकीकरण प्रभाग द्वारा निभाई जा रही सक्रिय भूमिका की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि साइबर अपराध की जांच और रोकथाम एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक ओर साइबर स्पेस ने मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, वहीं इसने साइबर प्रौद्योगिकियों पर हमारी निर्भरता को बढ़ाया है और इसके परिणामस्वरूप इसने हमारे सामने सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी खड़ी की हैं। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि चूंकि साइबर स्पेस सीमा विहीन है, इसलिए हमें साइबर अपराध से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर के मानकों के अनुरूप तैयारियों की जरूरत है। प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन करके साइबर अपराधों से लड़ने के लिए एक नया और मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं।

बीपीआर एंड डी के डीजी बालाजी श्रीवास्तव ने अपने स्वागत संबोधन में एनसीआर एंड आईसी और बीपीआरएंडडी के आधुनिकीकरण प्रभाग द्वारा साइबर अपराध जांच, डिजिटल फोरेंसिक और साइबर अपराध की रोकथाम के सन्दर्भ में एलईए की क्षमता निर्माण के लिए किये जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण प्रभाग और एनसीआर एंड आईसी अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी में अनुसंधान और विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दे रहा है, ताकि साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए एलईए के उपयोग हेतु अनुसंधान आधारित उपकरण विकसित किये जा सकें। उन्होंने एलईए के लिए एनसीआर एंड आईसी द्वारा आयोजित ''कैप्चर द एविडेंस'' (साक्ष्य संग्रह) प्रतियोगिता के बारे में भी बताया। गृह राज्य मंत्री ने उद्घाटन सत्र में प्रतियोगिता के शीर्ष तीन विजेताओं को सम्मानित किया।

गृह मंत्रालय (एमएचए) देश के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। एमएचए द्वारा 2018 में स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा चुनौतियों से लड़ने के विशेष उद्देश्य के लिए बनी एक इकाई है। 2019 में लॉन्च किया गया साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, आई4सी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। यह पोर्टल नागरिक केंद्रित अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है। आई4सी द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय हेल्पलाइन, 155260 आम नागरिक को वित्तीय धोखाधड़ी दर्ज करने में मदद कर रही है। गृह मंत्रालय और बीपीआर एंड डी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उद्घाटन सत्र में भाग लिया।

राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के तहत 18603 महिलाएं लाभान्वित

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरम्भ की हैं। राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं में कुपोषण की समस्या के समाधान को उच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना आरम्भ की है। यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

इस योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं को पहले बच्चे जन्म पर मातृत्व सुविधा प्रदान की जा रही है। शर्तों को पूरा करने वाली पात्र लाभार्थियों को तीन किश्तों में 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के तहत एक लाख 96 हजार 491 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। वर्ष 2017 में इस योजना के आरम्भ से अब तक लाभार्थियों के बैंक खातों में 82.59 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। वर्ष 2021-22 में अब तक लगभग 18603 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है और इन लाभार्थियों के बैंक खातों में छः करोड़ 10 लाख 32 हजार रुपये जमा किए गए हैं।

राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं की पोषण संबंधी आवश्कताओं के दृष्टिगत वेतन कटौती की स्थिति में आंशिक मुआवजा और स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है। योजना के तहत जिला शिमला में सात करोड़ 87 लाख 75 हजार रुपये और जिला सोलन में 16,440 पात्र महिलाओं को छः करोड़ 40 लाख रुपये व्यय कर लाभान्वित किया गया है। योजना के क्रियान्वयन से अब तक जिला कांगड़ा में लगभग 21 करोड़ रुपये व्यय कर 47 हजार पात्र महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना का लक्ष्य देश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या का समाधान करना है।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की इकाइयों या इसी प्रकार की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को छोड़कर अन्य सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करवाने वाली माताओं को इस योजना में शामिल किया गया है।

'हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां' थीम के साथ मनाया गया हिमालय दिवस

शिमला। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने नौला फाउंडेशन के साथ मिलकर हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस साल की थीम 'हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां' रही। यह आयोजन 'आजादी का अमृत महोत्सव' के चल रहे उत्सव का हिस्सा था। हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से यह मनाया जाता है। इसे 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

हिमालय के महत्व को समझाते हुए, राजीव रंजन मिश्रा, महानिदेशक एनएमसीजी ने हिमालय में अनियोजित तरीके से शहरीकरण पर चिंता जताई और कहा, 'हिमालय के पहाड़ी नगरों को खराब भवन योजना और डिजाइन, कमजोर बुनियादी ढांचे (सड़कें, सीवेज, जल आपूर्ति आदि) और पेड़ों की अभूतपूर्व कटाई के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह गंभीर पारिस्थितिक मुद्दों की वजह बनता है।' उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पहाड़ी नगरों की योजनाओं और डिजाइनों को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 'मैदानों और पहाड़ों में शहरों के लिए एक ही तरह के मास्टर प्लान नहीं हो सकते हैं।' उन्होंने इस पर जोर दिया कि हिमालय न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए शक्ति का एक स्रोत और एक मूल्यवान विरासत है और हमें उसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। मिश्रा ने कहा, 'सामुदायिक भागीदारी के साथ वैज्ञानिक ज्ञान से इसे संभव बनाया जा सकता है और हम नौला फाउंडेशन के प्रयासों का स्वागत करते हैं।'

पद्म श्री कल्याण सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा, 'हिमालय औषधीय पौधों का भंडार है, जो गंगा के पानी को विशेष बनाता है और न केवल गंगा बल्कि कई छोटी नदियों को जीवन देता है।'

हिमालय दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए, प्रोफेसर विनोद तारे, संस्थापक प्रमुख, सीगंगा, आईआईटी कानपुर ने उत्तराखंड नदियों के एटलस का एक मसौदा साझा किया। उन्होंने बताया कि नदी के एटलस को तैयार करने की इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड की सभी नदियों का मानचित्रण करना और उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या देना है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में नौला फाउंडेशन के प्रयासों के बारे में बोलते हुए, बिशन सिंह, अध्यक्ष, नौला फाउंडेशन ने जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों और स्थानीय समुदायों के साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

इस कार्यक्रम के दौरान 'पहाड़-पानी-परंपरा पर हितधारकों का वेबिनार' की कार्यवाही जारी की गई। इस वेबिनार का आयोजन 10, 11 और 12 जून 2021 को किया गया था। नीति निर्माताओं और निर्णय लेने वालों के लिए झरनों के सूखने और ऐसे कार्यक्रम लागू करने में स्प्रिंग-शेड मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका और अनुभवों को साझा कर उन्हें संवेदनशील बनाने का यह एक बेहतरीन अवसर था। इस कार्यक्रम में चिरस्थायी हिमालय के लिए गंगा के कायाकल्प की आवश्यकता पर जोर देने के लिए एक तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। प्रोफेसर राजीव सिन्हा, आईआईटी कानपुर, प्रोफेसर ए.एस. मौर्य, आईआईटी रुड़की और प्रोफेसर वेंकटेश दत्ता ने हिमालय और इसके पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं पर अपने विचार साझा किए।

एनएमसीजी हिमालय के महत्व को समझता है, जो हर साल मॉनसून को सक्रिय करता है। यह गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह में बहुत योगदान देता है। हिमालय के योगदान को समझकर, एनएमसीजी ने हिमालय के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ऐसी ही एक परियोजना आईआईटी रुड़की द्वारा 'भू-रासायनिक और भू-भौतिक तकनीकों के इस्तेमाल से टिहरी गढ़वाल जिले के टोकोली गाड कैचमेंट में नष्ट हो रहे झरनों का कायाकल्प' है। एनएमसीजी ने आईएनटीएसीएच द्वारा गौमुख से गंगा सागर तक गंगा नदी के सांस्कृतिक मानचित्रण नामक एक परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत, गंगा नदी और शहरों की मूर्त और अमूर्त विरासत का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण हिमालयी शहर उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग हैं।

निजी डेटा के मुद्रीकरण को संभव बनाने वाले एकाउंट एग्रीगेटर ढांचे का शुभारंभ

शिमला। भारत ने यथास्थिति को बुनियादी रूप से बदलने के लिए पिछले सप्ताह एक और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। इस बार बदलाव व्यक्ति विशेष और छोटे उद्यमों को उनके निजी डेटा के माध्यम से सशक्त बनाने के इरादे से किया गया है।

निजी डेटा के इस मुद्रीकरण को संभव बनाने वाले एकाउंट एग्रीगेटर ढांचे का शुभारंभ आईस्पिरिट द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में किया गया। आईस्पिरिट बेंगलुरु के बाहर स्थित प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए काम करने वाला एक समूह है और इसने यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को सशक्त बनाने वाले इंडिया स्टैक आर्किटेक्चर के निर्माण में मदद की है। भारतीय स्टेट बैंक, आईडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई सहित आठ अधिकृत संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियामक दायरे में हैं।

एकाउंट एग्रीगेटर से संबंधित यह ढांचा विशेष रूप से व्यक्ति विशेष और छोटे उद्यमों के लिए डेटा के सहमति – आधारित मुद्रीकरण को संभव बनाता है, जोकि अन्यथा अधिकांश वित्तीय मध्यस्थों की नजरों से ओझल था। लंबित पड़े डेटा प्राइवेसी कानून को एक बार संसद की मंजूरी मिल जाने के बाद इस रणनीति से जुड़े सभी पहलू लागू हो जायेंगे।

सत्यापित व्यक्तिगत डेटा का यह आदान – प्रदान न केवल वित्तीय समावेशन के एक और दौर को बढ़ावा देगा, बल्कि खपत में एक नया उछाल ला सकता है। वित्तीय समावेशन के इस नए दौर में जहां अधिक से अधिक व्यक्ति विशेष और छोटे उद्यमों को उनके व्यक्तिगत डेटा के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के लिए और भारत में चल रही फिनटेक क्रांति को सशक्त बनाया जाएगा, वहीं कोविड के बाद की दुनिया में भारत को खपत में एक नए उछाल की सख्त जरूरत है।

– अनिल पद्मनाभन –

अनजान लोगों के लिए एकाउंट एग्रीगेटर (एए) बहुत कुछ एक वित्तीय मध्यस्थ जैसा है। हालांकि दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। एकाउंट एग्रीगेटर धन हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के बजाय किसी व्यक्ति के डेटा के आदान – प्रदान की देख – रेख करता है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के सभी आंकड़ों, चाहे वो धन या स्वास्थ्य से जुड़े हों, को अब डिजिटल माहौल में हासिल किया जा सकता है और उसे एकाउंट एग्रीगेटर का उपयोग करके साझा किया जा सकता है।

यह लेन – देन सहमति पर आधारित होगा और एकाउंट एग्रीगेटर डेटा के मामले में अनजान रहता है – ये संस्थाएं न तो अपने से होकर गुजरने वाले डेटा को देख सकती हैं और न ही इसे इकट्ठा कर सकती हैं और जो कंपनियां इस डेटा का व्यावसायिक उपयोग के इरादे से इस्तेमाल करना चाहती हैं, उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। भुगतान की दरें अलग – अलग होंगी और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका उपयोग एक बार किया जा रहा है या कई बार। अब तक यह मूल्य या तो अप्राप्त रह जा रहा था या फिर इस डेटा का इस्तेमाल विभिन्न प्लेटफार्मों द्वारा मुफ्त में किया जा रहा था। यह कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पूर्व प्रमुख, इंफोसिस के अध्यक्ष और एकाउंट एग्रीगेटर के प्रमुख समर्थक नंदन नीलेकणि अक्सर संक्षेप में कहते हैं: भारतीय भले ही आर्थिक रूप से गरीब हैं, लेकिन डेटा के मामले में समृद्ध हैं।

एकाउंट एग्रीगेटर का शुभारंभ डेटा के मामले में सशक्तिकरण के जरिए इन दो चरम स्थितियों के समेकन की मांग कर रहा है। इस लिहाज से यह ''मध्यरात्रि में आजादी'' का एक और पल के जैसा है और यह अद्भुत संयोग है कि ऐसा भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के दौरान हो रहा है। वास्तव में, यह नियति के साथ एक और साक्षात्कार है।

एकाउंट एग्रीगेटर से संबंधित ढांचे के शुरुआती उपयोगों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) जैसे जनसांख्यिकीय वर्गों के लिए पहली बार ऋण संबंधी अवसर पैदा करना शामिल होगा।

देश की राष्ट्रीय आय में लगभग एक तिहाई का योगदान देने के बावजूद, देश के 400 मिलियन से अधिक की श्रमशक्ति के एक चौथाई को रोजगार देने और जोखिम लेने की अदम्य भूख होने के बावजूद, औपचारिक क्रेडिट लाइनों तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की पहुंच सीमित है। यह काफी हद तक उनकी आर्थिक स्थिति की अनौपचारिक प्रकृति के कारण है, जोकि बैंकों से पारंपरिक ऋण के लिए पात्र होने के लिए जरूरी प्रभाव उत्पन्न करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।

यह सब कुछ बदल जाने वाला है। एकाउंट एग्रीगेटर से संबंधित ढांचे की शुरुआत एक ऐसे समय में हो रही है जब फिनटेक कंपनियां पहले ही जमानत के अलावा अन्य पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करके कर्ज देने के कारोबार को अस्त – व्यस्त करना शुरू कर चुकी हैं। उधार लेने वाले लोगों को ठीक – ठीक चिन्हित करने के लिए इन फिनटेक कंपनियों द्वारा आजमाए जा रहे मनोविज्ञान के नए तरीकों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मिलने वाले नकदी प्रवाह या वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों की थाह लेना शामिल है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मौसमी व्यवसाय के लिए धन देने के उद्देश्य से जमानत मुक्त व्यापारिक ऋण और लचीली कार्यशील पूंजी पहली बार औपचारिक रूप से एक ऋण संबंधी ब्यौरा तैयार करेगी। यह कदम अकेले अपेक्षाकृत अधिक पारंपरिक कर्जदाताओं की नजर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को आंशिक रूप से जोखिम से मुक्त करेगा। इस किस्म का ऋण संबंधी सशक्तिकरण, जिसे व्यक्ति विशेष तक भी बढ़ाया जा सकता है, अपेक्षाकृत और अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को संभव बना सकता है यानी सभी के लिए एक फायदेमंद स्थिति।

एकाउंट एग्रीगेटर से संबंधित ढांचे का एक दमदार उपयोग यह हो सकता है कि लगभग 1 ट्रिलियन रुपये वाली ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के 100 मिलियन से अधिक लाभार्थी कैसे सरकार से अपनी मजदूरी की प्राप्तियों को दर्ज करने वाले अपने डेटा का उपयोग ऋण प्राप्त करने के लिए कर सकें। फिलहाल ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ऋण जमानत की पूर्व शर्त पर दिया जाता है और इससे संबंधित डेटा को साझा नहीं किया जाता है।

यूपीआई की सफलता, जोकि एकाउंट एग्रीगेटर से संबंधित ढांचे द्वारा उपयोग किए जा रहे 'आधार' पर आधारित इंडिया स्टैक प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर का ही लाभ उठाती है, यह बताती है कि इस क्षमता का दोहन किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, यूपीआई के उपयोग के जरिए होने वाले लेन – देन तीन वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। मई 2018 में यह लेन – देन 189.3 मिलियन था, 2019 के इसी महीने के दौरान 733.4 मिलियन और इस साल मई में आश्चर्यजनक रूप से 2.54 ट्रिलियन रहा।

अंतिम रूप से विश्लेषण में यह स्पष्ट है कि एकाउंट एग्रीगेटर से संबंधित ढांचा क्रेडिट लाइनों को पैदा करने के लिए निजी डेटा के मुद्रीकरण के दुस्साहसी विचार को शक्ति प्रदान कर रहा है, जोकि जमानत – आधारित कर्ज देने के वर्तमान चलन के ठीक उलट है। यही वजह है कि डेटा को नया ईंधन कहा जाता है।

"Bank of the State, For the State"
THE HIMACHAL PRADESH STATE COOPERATIVE BANK Ltd.
H.O. THE MALL, SHIMLA (H.P.) 171001

SH. JAI RAM THAKUR
HON'BLE CHIEF MINISTER
(Scheduled Bank)
1st State Cooperative Bank of the Country on 100% C.B.S.
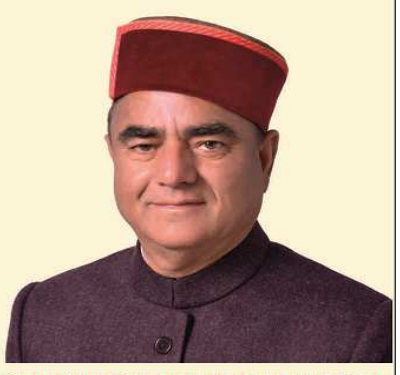
SH. KHUSHI RAM BALNATAH
CHAIRMAN
Changing lives through Social banking since 1953
Highlights:
• 218 Branches & 23 Extension Counters fully on CBS mode
• 100 ATMs
• Bank is continuously profit earning & dividend paying organisation
• 1st Prize in overall Performance
• Best Performance Award for imparting quality training through institute ACSTI, Sangti (Summerhill)
• Mobile Van
Deposit Schemes
* Pygmy deposits
* Paanch Saal mein Lakhpati Yojna
* Himpunernivesh
Deposits
* Sarvapriya Deposit
* Recurring Deposit
Facilities Available
• ATM Facility
• UPI/ BHIM
• Mobile Banking (HIMPESA)
• SMS Alerts
• Rupay Debit Card
• RTGS/NEFT
• KCC Rupay Cards
• Lockers
• Bancassurance Business
• Implementing PMJDY, PMJJBY, APY & PMSBY
• Rate of Interest on Saving Bank 3%
Maximum Interest Rates on Deposits
Loans Schemes
• Kisan Credit Card Scheme
• House Loan
• Vehicle Loan
• Personal Loan
• Education Loan
• Self Employment Loan
• Hotel/Motel
• Farm Plus Loan Scheme
• Mukhyamantri Swablamban Yojna
• Easy Loan to Students
KHUSHI RAM BALNATAH
CHAIRMAN
SHRAWAN MANTA (H.A.S.)
MANAGING DIRECTOR
* Highest Rate of interest on deposits to Senior Citizens
* Quick disposal * Low margin requirements * No Hidden Charges
Toll Free No.: 1800-180-8090
For more details- Visit our nearest Branch today or Log on to www.hpscb.com

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

शान्ता और राजेन्द्र राणा के ब्यानों/आरोपों से वीरभद्र-जयराम प्रशासन भी सवालों के घेरे में

⇨ फर्जी डिग्री मामले में अगस्त 2017 की शिकायत पर फरवरी 2020 में एफआईआर दर्ज
⇨ मामला दर्ज करनें में इतनी देरी क्यों
⇨ प्रदेश उच्च न्यायालय के तीन न्यायधीशों ने जांच की धीमी गति पर उठाये हैं सवाल

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमन्त्री शान्ता कुमार ने प्रदेश में घटे फर्जी डिग्री प्रकरण को हिमाचल के माथे पर कलंक करार देते हुए इसकी निष्पक्ष और शीघ्र जांच की मांग की है। शान्ता कुमार ने आरोप लगाया है कि वर्षो से फर्जी डिग्रीयां बिकती रही और प्रदेश की सीआईडी को पता ही नहीं चला यह कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने इसकी जांच तेज करने के लिये मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर और डीजीपी संजय कुण्डु से भी आग्रह किया है। प्रदेश में फर्जी डिग्रीयां बेचने के आरोप मानव भारती विश्वविद्यालय पर लगे हैं। शान्ता कुमार द्वारा यह विषय उठाने से पहले कांग्रेस विधायक राजेन्द्र राणा ने भी यह विषय उठाया है। राणा ने इस सबंध में विधानसभा में भी एक सवाल उठाने का दावा किया है। यह सवाल सदन में चर्चा के लिये नहीं आ पाया है। राणा के मुताबिक मानव भारती विश्व विद्यालय की स्थापना में ही घोटाला होना शुरू हो गया था। प्राईवेट सैक्टर में विश्व विद्यालय खोलने के लिये पचास बीघे जमीन चाहिये। राणा के मुताबिक मानव भारती विश्व विद्यालय के पास वांच्छित भूमि नहीं थी और इसलिये दो बार उनका आवेदन रद्द हुआ है। उसके बाद तीसरी बार उनको यह स्वीकृति मिल गयी। राणा के मुताबिक यह स्वीकृति मिलने में बड़े स्तर पर बड़ा लेनदेन हुआ है। इसी लेनदेन के आधार पर आगे चल कर इस विश्व विद्यालय की डिग्रीयां बिकना शुरू हुई जिस पर सरकार द्वारा यह कारवाई नहीं की गयी। राजेन्द्र राणा और फिर शान्ता कुमार द्वारा यह विषय उठाने के बाद प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में भूचाल आ गया है। क्योंकि शान्ता कुमार ने उनकी अभी छपी जीवनी में केन्द्र की वाजपेयी और मोदी सरकारों पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप जिस तर्ज पर लगाये हैं उससे उनके ब्यान को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। क्योंकि उनका आरोप है कि जिन लोगों को जेलों में होना चाहिये वह आज खुले में घूम रहें है। शान्ता कुमार ने अपनी आत्मकथा में जिस तरह के आरोप भाजपा सरकारों के खिलाफ लगाये हैं यदि कल उन्हें विपक्ष मुद्दा बनाकर सरकार से सवाल पूछना शुरू कर देता है तो सरकार के लिये एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जायेगी यह तय है। इस परिदृश्य में फर्जी डिग्री प्रकरण की पड़ताल करके सारे तथ्य आम आदमी के सामने लाना आवश्यक हो जाता है क्योंकि इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर बहुत ढील रही है यह सही है।

स्मरणीय है कि हिमाचल प्रदेश को शैक्षणिक हब बनाने के लिये वर्ष 2009 – 10 में प्राईवेट सैक्टर में बहुत सारे विश्व विद्यालय खोलने की अनुमतियां दी गयी थी। इसी में मानव भारती विश्व विद्यालय ने भी ऐसी अनुमति के लिये आवेदन किया था। इस आवदेन को पहली बार अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि उनके पास वांच्छित पचास बीघे ज़मीन नहीं थी। बाद में और बीस बीघे ज़मीन दूसरे स्थान पर खरीदकर यह आवदेन किया कि वह यह परिसर दो स्थानों पर खोलना चाहते हैं इस आग्रह के साथ जब यह मामला मन्त्रीमण्डल की बैठक में आया तब इन्हें अनुमति प्रदान कर दी गयी। यह अनुमति मिलने के बाद विश्व विद्यालय ने वर्ष 2009 – 10 से शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया। 2009 से 2013 तक के सत्रों में 45 कोर्सो में अध्यापन शुरू हो गया। लेकिन इसी दौरान यह शिकायतें आना शुरू हो गयीं कि बहुत सारे कोर्स शुरू करवा दिये गये हैं जिनके लिये सक्ष्य अथॉरिटी से स्वीकृति ही नहीं है। इन शिकायतों पर सरकार ने 17 – 2 – 2012 को पत्र संख्या EDN-A-Ka(5) – 1/2011 के तहत जांच के आदेश कर दिये। इन आदेशों पर पीएचडी कोर्स को बन्द कर दिया। यही नहीं जिन 45 कोर्सो में अध्ययन शुरू किया गया था उनमें से 31 को बन्द करवा दिया गया था। इन अनियमितताओं के लिये इन्हें एक करोड़ रूपये का जुमार्ना भी लगाया गया था।

प्राईवेट सैक्टर में खुले इन विश्वविद्यालयों पर जब सवाल उठने शुरू हुए थे तब सरकार ने इनके लिये एक नियामक आयोग का गठन भी कर दिया था जिसकी अध्यक्ष सरोजनी ठाकुर वरिष्ठतम आई एएस अधिकारी को लगाया गया। इस आयोग के पास जब मानव भारती विश्व विद्यालय को लेकर शिकायत आई तब इसकी जांच के लिये 20 – 8 – 2014 को सेवा निवृत आईएएस अधिकारी सीआरवी ललित की अध्यक्षता मे एक तीन सदस्यों की कमेटी गठित कर दी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर 1 – 4 – 2016 को नियामक आयोग का फैसला आया है। इस फैसले में यह सामने आया है कि इस विश्व विद्यालय ने दिसम्बर 2012 तक कोई कन्वोकेशन ही आयेजित नहीं की है और न ही कोई डिग्रीयां बांटी गयी है। इसकी पहली कन्वोकेशन दिसम्बर 2013 में वीरभद्र शासन के दौरान हुई और अभी डिग्रीयां बांटी गयी। इसलिये फर्जी डिग्रीयां होने और बांटने का विषय ही 2013 से व्यवहारिक रूप से शुरू होता है। इसके बाद ही नियामक आयोग और शिक्षा विभाग पर आयोग की सचिव एकता काप्टा 16 – 8 – 2017 को डीजीपी को शिकायत भेजकर इस प्रकरण में मामला दर्ज करने का आग्रह करती है और मामला दर्ज हो जाता है। 16 – 8 – 2017 को आयोग की शिकायत पर फरवरी और मार्च 2020 मे एफआईआर दर्ज होते हैं और गिरफ्तारीयां शुरू होती हैं। 2017 की शिकायत पर 2018 – 2019 में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं होते हैं इसका कोई खुलासा सामने नहीं आया है। इस मामले में पहली गिरफ्तारी इण्डस विश्वविद्यालय के लेख राज की होती है जिसे 13 – 2 – 2020 को प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर की पीठ से ज़मानत मिल जाती है। इसके बाद इसी मामले में गिरफ्तार प्रमोद कुमार को 5 – 6 – 2020 को न्यायमूर्ति चन्द्र भूषण बारोवालिया की पीठ से ज़मानत मिल जाती है। फिर 18 – 11 – 2020 को राज कुमार राणा को न्यायमूर्ति अनुप चिटकारा की पीठ से ज़मानत मिल जाती है और 31 – 5 – 2021 को अजय कुमार को इसी पीठ से ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत के यह मामले तीन अलग – अलग ज़जों के पास आते हैं और सभी ने पुलिस की जांच पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। नियामक आयोग से लेकर उच्च न्यायालय तक यह कहीं नहीं आया है कि 2012 तक आयी शिकायतों पर कारवाई करने में कोई ढील बरती गयी है। न ही यह सामने आया है कि 2012 तक ही फर्जी डिग्रीयां बिकनी शुरू हो गयी थीं। ऐसे में यह सवाल बड़ा हो गया है कि जब नियामक आयोग ने अगस्त 2017 में ही डीजीपी को शिकायत भेज दी थी तो उस पर एफआईआर दर्ज करने में करीब अढ़ाई वर्ष की देरी क्यों की गयी?

मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री प्रकरण में

नियामक आयोग का 01–04–2016 का फैसला

In the light of above, the MBU is ordered:
(i) To ensure that they maintain counterfoils of receipt books for all transactions for years after students have passed out and that accounts should be maintained digitally and such records should be preserved in perpetuity.
(ii) To seal the old degrees and abandon using the series and get new degrees printed with proper multiple secrecy features which it issues seriatim. This will preclude any danger of repetition of complaints which have been received regarding MBU.
(iii) The MBU was ordered to upload information pertaining to the degrees that it has actually awarded on its website and also the details of the passed out candidates. After several hearings the MBU has now made a public disclosure through its website of list of the details of (1) degrees awarded till date and (2) details of passed out candidates from the University. This can be accessed by anybody from their website. The MBU needs to keep updating this as a continuous process as and when degrees are awarded or students passed out but have not been awarded degrees.
The public notice referred in para-V has effectively clarified that all degrees apart from those on the website are fake and have not been issued by the University.
VII. In view of the compliance reported by MBU as indicated in para-V and findings rendered in para-VI of the Order, the controversy involved has been set at rest. In the interest of transparency of award of degrees and to obviate possible malpractices, all the Private Universities in the State are ordered to make public disclosure on their respective websites regarding course wise degrees awarded till date and list out candidates who have passed out but award of degrees is awaited.
Copy of the order be supplied to the MBU.
Operative part of para-VII of the order, so far as applicable to all the State Private Universities be communicated to all separately.
Copy of the order is not required to be supplied to complainant(s) in view of the public notice issued by MBU.
Copy of the orders be supplied to the Director Higher Education Himachal Pradesh (through whom reference of UGC regarding complaint of Dr. J.C. Bhatia has been received) with reference to his letter dated 7.8.2014.
Case file after completion be consigned to record room.
Announced. Sd/-
(Sarojini G. Thakur)
Chairperson

नियामक आयोग का अगस्त 2017 का डीजीपी को शिकायत पत्र

FACTS
(a) The gist of the First Information Report and the investigation is that way back on Aug 16, 2017, the Secretary of Himachal Pradesh Private Education Institutions Regulatory Commission sent a complaint addressed to the Director General of Police, Himachal Pradesh, Shimla-2, which is reproduced as under:

"From
The Chairman
H.P. Private Educational Institutions Regulatory Commission, Shimla-9.
To
The Director General of Police, Himachal Pradesh, Shimla-2.
Subject: Issue regarding 103 Degrees/Diplomas issued by Manav Bharti University, Laddo, Sultanpur, Distt.Solan (HP) which were found to be fake on verification.
Sir,
I am directed to submit that this Commission has been formed with an objective providing a regulatory mechanism in the State and for working as an interface between the State Government and Central Regulatory Bodies for ensuring appropriate standards of admission, teaching examination, research and protection of interest of students in the Private Educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto. This Commission received a request from the Directorate of Higher Education on 06.01.2017 for verification of 103 degrees diplomas issued by the Manav Bharti University in various disciplines (Copy along with the list of candidates and their particulars as Annexure-I is enclosed for kind perusal). The matter for verification of degrees/diplomas was taken up with the Registrar, Manav Bharti University, Solan vide this office letter No. HPPERC 28 MBU-Vol- III/2016-3813 dated 03.03.2017 (copy enclosed). But the University in its response dated 10.03.2017 denied having issued any documents with respect to these 103 degrees/diplomas (copy enclosed as Annexure-II). Your kind attention is drawn to the fact that from the bare p1erusal of the degrees/diplomas enclosed it is evident that the same have been issued by Manav Bharti University, Solan. However, from the refusal of issuance of these documents by the University it has questioned the sanctity of these degrees/diplomas. Therefore, there is sufficient incriminating material which shows that the degrees/diplomas in question are not genuine. Hence, a high-level investigation is required to be done as it is a serious issue. You are therefore requested to look into the matter and direct a high-ranking officer of your department to investigate the matter in order to reveal the truth behind the issue and thereafter taken action in accordance with law. This Commission will extend all kinds of possible assistance to the investigating officer in the matter.
Thanking you.
Encls: as above.
Yours sincerely
Sd/-,
(Ekta Kapta)
Secretary".